न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1294—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 14—06—2006 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 05/अपील/2005—06

.....

1— श्री लल्लू पिता सूर्यदीन

2— श्री सौखीलाल तनय सूर्यदीन

3— श्री परमेश्वर तनय सहदेउना

निवासीगण— ग्राम पहडा, तहसील अमरपाटन

जिला—सतना(म0प्र0)

4— श्री जोधी तनय धनुका (मृतक) वारिसान—

1. दयाराम तनय स्व0 जोधी
2. राजबहोर तनय स्व0 जोधी

5— श्री बृजलाल तनय धनुका

6— श्री कोदूलाल तनय धनुका

निवासीगण— ग्राम अगडाल तहसील हुजूर,

जिला—सतना(म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— श्री रामाश्रय तनय रामसजीवन (मृतक) वारिसान—

1. राजरानी बेवा पत्नी स्व0 श्री रामाश्रय
2. ज्ञानेन्द्र तनय रामाश्रय
3. संदीपन तनय रामाश्रय
4. नारेन्द्र तनय रामाश्रय

2– श्री रामनरेश तनय रामसजीवन

3– श्री उमाकान्त तनय रामाधर

निवासीगण–ग्राम ककलपुर तहसील अमरपाटन

जिला–सतना(म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 01/06/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–06–2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा ग्राम ककलपुर स्थित विवादित भूमि सर्वे नं0 1999/0.33, 2002/0.04, 2003/0.89, 2023/0.12, 2054/0.10, एवं 2056/0.20 का नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 109 एवं 110 के तहत पेश किया गया । तहसील न्यायालय में विधिवत प्रकरण क्रमांक 34/अ–6/94–95 पर पंजीबद्ध होकर दिनांक 25.03.96 को अनावेदक के हित में नामांतरण का आदेश पारित किया । इसी आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदक श्री लल्लू ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन के न्यायालय में पेश की जो प्रकरण क्रमांक 13/अ–6/अपील/95–96 पर दर्ज किया गया तथा तहसील न्यायालय के आदेश को विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत मानते हुये, अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 30.08.97 से तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये, अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.08.97 से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 05/अपील/2005–06 पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 14.06.2006 द्वारा अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 14.06.2006 से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के विपरीत है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विवादित आराजी धनुआ व रामदेव की है। अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। सम्वत 1992 की मूल टीप आज तक किसी न्यायालय में पेश नहीं की गई है, मात्र छायाप्रति पेश की है। विवादित आराजियों का रकबा नम्बर क्या है कहीं दर्ज नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन ने विधिवत विवेचना करते हुये आदेश पारित किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर अनावेदकगण का काफी लम्बे वर्षों से निरंतर कब्जा चला आ रहा है। आवेदक के अभिभाषक ने तर्क में बताया कि सम्वत 1992 की मूल टीप आज तक किसी न्यायालय में पेश नहीं की गई है, मात्र छायाप्रति पेश की है। यदि अनावेदकगण के पक्ष में लिखी विक्रय टीप गलत या संदिग्ध अथवा फर्जी होती तो आवेदकगण को अनावेदकगण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में बेदखली का आवेदन लगाना चाहिये था, किन्तु आवेदकगण द्वारा कहीं कोई बेदखली की कार्यवाही नहीं की गई है। अतः आवेदकगण का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है और जहां तक विवादित भूमि पर कब्जे का प्रश्न आवेदकगण ने ऐसा कोई दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत किया नहीं कि जिससे यह साबित हो सके कि उक्त वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के अधिपत्य की है।

प्रकरण के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक के पिता सूर्यदीन ने अपने साक्ष्य में स्वीकारोक्ति की है कि अनावेदकगण का कब्जा विवादित आराजी पर है। विक्रय टीप के पक्षकार व दोनों गवाहों की मृत्यु हो चुकी है। साक्ष्य अधिनियम के अनुसार विक्रय टीप के पक्षकार की मृत्यु हो जाये तो उस बिक्री टीप को फर्जी अथवा संदिग्ध नहीं माना जा सकता जब तक की उसे फर्जी साबित न कर दिया जाये । नायब तहसीलदार के समक्ष आयी हुई साक्ष्य से विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदकगण का पुस्तैनी तौर पर कब्जा स्पष्ट हो जाता है तथा रुपये 90/--(नब्बे रुपये) की विक्रय टीप का पंजीयन आवश्यक नहीं होता है और

एम्पाउण्ड न भी हो तब भी साक्ष्य में प्रस्तुत 30 वर्ष से ऊपर का दस्तावेज आमान्य नहीं किया जा सकता और खसरे में कब्जा भी दर्ज है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 की परिधि में नहीं आता। जबकि धारा 54 अन्तरण अधिनियम के तहत 100/– रुपये के नीचे का विक्रय दस्तावेज की लिखा पढ़ी आवश्यक नहीं है और मौखिक रूप से भी अन्तरण हो सकता है। ऐसे दस्तावेज का पंजियन धारा 17 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत आवश्यक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन ने बिना किसी आधार पर आवेदकगण की अपील को स्वीकार किया है, उसे विधिसंगत नहीं कहा जा सकता। अपर आयुक्त रीवा ने अपने प्रकरण क्रमांक 5/अपील/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2006 द्वारा पूर्ण विवेचना कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी ठोस आधार के आभाव में निरस्त की जाती है और अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण क्रमांक 5/अपील/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2006 न्यायसंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर